इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 जुलाई 2012—आषाढ़ 27, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2012

क्र. 16290-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 19 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 18 जुलाई, 2012 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १९ सन् २०१२

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, २०१२

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४२ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९) की धारा ४२ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"(३) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किन्हीं ऐसे जलाशयों, सिंचाई प्रणालियों, नलकूपों तथा सिंचाई परियोजनाओं को लागू नहीं होगी जो किसी निजी क्षेत्र के लिये चिन्हित हों या ऐसी प्रणाली या परियोजनाओं को संचालन के लिए निजी क्षेत्र को सौंपा जाना हो.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

किसानों को, सरकारी स्त्रोतों की सिंचाई प्रणाली से सिंचाई के नियमित लाभ उपलब्ध कराने की दृष्टि से, यह विनिश्चित किया गया है कि सरकारी नलकूपों को निजी क्षेत्रों को सौंपा जाए. अतएव, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९) की धारा ४२ में यथोचित् संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २८ जून, २०१२

जयंत कुमार मलैया
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 333] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 जुलाई 2012—आषाढ़ 28, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्र. 4341-237-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 19 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 19 of 2012

THE MADHYA PRADESH SINCHAI PRABANDHAN ME KRISHKON KE BHAGIDARI (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2012.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

2. It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

Amendment of Section 42.

(2). In Section 42 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), after sub-section (2), the following new sub-section shall be added, namely:—

"3. Nothing contained in this Act shall apply to water bodies, irrigation systems, tube wells and irrigation projects which are earmarked for private sector or for handing over such system or projects to private sector for operation.''.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to provide regular benefit of irrigation to farmers from irrigation system of Government sources, it is decided to handover Government tube wells to private sector. Therefore, suitable amendment is proposed in Section 42 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999).

2. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated the 28th June 2012.

JAYANT MALAIYA
Member-in-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.